उत्तर रेलवे

230–विद्युत लोको परिचालन/दिल्ली/तकनीकी–24/2023
दिनांक :– 11.04.2023

मण्डल कार्यालय
नई दिल्ली

तकनीकी ड्राईव–DLI/RSO-01/2023

विषय :–लोड स्टॉल होने से बचाव।

वर्तमान में लोड स्टॉल के केस बढ़ रहे हैं जिसमें कुछ में नए पदोन्नत लोको पायलट शामिल हैं जिससे मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के परिचालन में समय हानि बढ़ रही है अतः इसे रोकने के लिये एक स्पेशल तकनीकी ड्राईव दिनांक 12.04.2023 से 11.05.2023 तक चलाई जा रही है।
लोड स्टॉल होने से बचाव निम्न तरीके से करें :–

1 यार्ड से लोड को चलाने से पहले लोड की पूर्ण ब्रेक के रिलीज होने व हैंड ब्रेक के रिलीज स्थिति में होने की सुनिश्चितता करें।

2 सुनिश्चित करें कि BP प्रेशर की पूर्ण निर्धारित मात्रा उपलब्ध है और लोड/इंजन पूरी तरह रिलीज है।

3 निम्न तालिका के अनुसार इंजन को अधिकतम स्टैंडर्ड करेंट व वोल्टेज देते हुये ट्रैक्शन लें :–

Type of Loco	Type of TM	Short time Current rating			Continuous current	Max Voltage
		02 Min	10 Min	60 Min		
P-1, G-5, M-4 (6P)	TAO 659	1100 A	1000 A	840 A	750 A	700 V
P-4	HS 15250	1250 A	1150 A	960 A	900 A	750 V
G-5	HS 15250	1200 A	1100 A	840 A	750 A	750 V
G-7	HS 15250	1300 A	1100 A	960 A	900 A	750 V

4 लोको/ट्रेक्शन बदलने या लोको रिवर्सल के बाद सम्पूर्ण लोड का मैन्युअल रिलीज किया जाना सुनिश्चित करें।

5 लोड को स्टार्ट करते समय लोड के रिलीज चलने की सुनिश्चतता करे, लोड जाम होने कि स्थिति में अधिक नॉच लेकर लोड को स्टार्ट करने का प्रयास ना करें।

6 रास्ते में लोड की ब्रेक प्रणाली जैसे–एंगिल कॉक/डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व अथवा वैगनों की हैंड ब्रेक के साथ छेड़छाड़ करने से लोड के जाम होने की सूचना TLC/NDLS व गाड़ी के गार्ड व ASM को दें। ट्रैक्शन मोटरों को अधिक करंट देकर लोड को चलाने का प्रयास ना करें।

7 आर्नो युक्त इंजनों में चढ़ाई वाले खण्ड में न्यूट्रल सैक्शन के उपरान्त DJ बंद करने के उपरान्त ब्लोअरों के चलने के पहले भी 5 नॉच तक ले सकते हैं और ब्लोवर चलने के उपरान्त आवश्यकतानुसार ट्रैक्शन लें।

8 वोल्टमीटर और अमीटर की जांच करते हुए सभी ट्रैक्शन मोटरों का काम करना सुनिश्चित करें। यदि कोई मोटर या ब्लॉक आइसोलेट हो तो तुरंत TLC को सूचित करे तथा अधिक लोड होने पर कार्य न करे।

9 इंजन का चार्ज लेते समय यह सुनिश्चित करें कि सैंडर्स कार्यरत स्थिति में है तथा सैंड बक्सों में सूखी रेत भरी है।

10 यदि लोको के सैंडस कार्यरत नहीं है या सुखी रेत नहीं भरी हुई है तब आने वाले लोको पायलट द्वारा TLC को अग्रिम सुचना दी जानी चाहिए, जिससे कि गाडी पहुंचते ही सैंड उपलब्ध कराइ जा सके या सैंडस को ठीक कराया जा सकें एवं अनावश्यक विलम्बन को बचाया जा सके।

11 लोड के रूक कर पुनः स्टार्ट करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि एयर ब्रेक पूरी तरह रिलीज है व एयर फ्लो गेज के वास्तविक रीडिंग पर आने व BP प्रेशर के पूरा होने की तसल्ली करें।

12 अप ग्रेडिएंट सेक्शन पर कार्य करते समय लोड स्टाल से बचाव हेतु सिगनल का पालन करते हुए कम से कम समय में निर्धारित करेंट (उक्त तालिका के अनुसार) देकर आवश्यक गति को बना लें। 3फेज लोको में थ्रोटल के द्वारा TE धीरे–धीरे 100% दे सकते हैं लेकिन ध्यान रखें कि व्हील स्लिप न हो।

(क) चढ़ाई शुरू हो जाने से पहले आवश्यकतानुसार जितना करेंट/नॉच लेना हो ले लें, चढ़ाई शुरू हो जाने पर अतिरिक्त करेंट/नॉच न लें।

(ख) चढ़ाई के समय अतिरिक्त नॉच बढ़ाने से व्हील स्लिप आने लगेगी जिससे लोड की गति कम होने लगेगी। जिससे लोड रूक सकता है।

13 अगर किसी अन्य कारण से लोड रूक जाता है तो बार–बार लोड को अधिक करेंट देकर व्हील स्लिपिंग कराते हुए चलाने का प्रयास ना करें। ऐसा करने से इंजन के व्हील एवं रेल पटरी को नुकसान हो सकता है।

14 ख़राब मौसम(बारिस) के समय अधिक सावधानी से कार्य करे तथा प्रयास करे कि व्हील स्लीपिंग न हो।

15 LP/ALP/LPS सेक्शन में कार्य करने से पहले उस सेक्शन का LR पूरा करें तथा सेक्शन में पड़ने वाले अप/डाउन ग्रेडिएंट की जानकारी प्राप्त करे।

सभी मुख्य लोको निरीक्षक अपने मनोनीत स्टाफ को उक्त मदों पर काउंसिल करें व नये पदोन्नत लोको पायलट के साथ व भारी मालगाड़ी पर अधिक से अधिक फुटप्लेट करें तथा फुटप्लेट के दौरान उक्त मदों की काउंसिल करें तथा ड्रायविंग तकनीक की सुधार के लिए मॉनीटरिंग करें। जिससे भविष्य में लोड स्टॉल न हो सके। ड्राईव की रिपोर्ट इस कार्यालय में दिनांक **13.05.23** तक अवश्य जमा करें।

वरिष्ठ मण्डल विद्युत अभियंता/परिचालन
उत्तर रेलवे, नई दिल्ली

प्रतिलिपि :–

4- मुख्य विद्युत लोको अभियंता/उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली – सूचनार्थ।
5- समस्त मुख्य लोको निरीक्षक–गाजियाबाद, दिल्ली, नई दिल्ली, आनन्द विहार, पानीपत, जींद, जाखल, रोहतक, निजामुद्दीन, पलवल, मेरठ, शकुरबस्ती एवं तुगलकाबाद–आवश्यक कार्यवाही हेतू।
6- सभी लॉबी नोटिस बोर्ड–सूचनार्थ।